

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर  
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)  
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- पी.एस./डीएलबी/2020/70

जयपुर, दिनांक:-11.04.2020

आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी  
नगर निगम/परिषद्/पालिका  
समस्त राजस्थान।

विषय:-वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) से सुरक्षा हेतु पीपीई किट उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) से सुरक्षा एवं बचाव हेतु अनेक उपाय किये जा रहे हैं, किन्तु फिर भी यह ध्यान में आया है कि उक्त वायरस के प्रभाव से कोरोना वॉरियर्स के भी संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन अस्पताल, वार्ड, क्वारंटाईन सेन्टर, आईसोलेशन सेन्टर जैसे अति संवेदनशील स्थानों पर मरीज भर्ती है, उन स्थानों पर कार्यरत विभागीय सफाई कर्मचारियों एवं अन्य कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर अथवा बाजार से क्रय कर उन्हें पीपीई किट (Personal Protective Equipment Kit) उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावें।



(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- पी.एस./डीएलबी/2020/71-73

जयपुर, दिनांक:-11.04.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।



निदेशक एवं संयुक्त सचिव